सामान्य अधिकार पत्र

स्टाम्प संख्या

स्टाम्प क्रमांक दिनांक

यह है कि

मैं/हम.....

.....

..... अचल

सम्पति कृषि भूमि

स्थान------ तहसील---- जिला----- (राज्य) ---- व जायदाद स्थित स्थान .....

खेवट/खतौनी/खसरा न0 ----- तादादी--- कनाल---- मरला/विघा--- बिस्वा का--- कुल हिस्सा क्षेत्रफल --- कनाल---मरला/बिघा--- बिस्वा---- वर्ग गज---- वर्गमीटर स्थित गांव/शहर----- हदबस्त न0---- तहसील----जिला------ जमाबन्दी वर्ष -----तहसील

---- जिला------ का मालिक व काबिज हूं / है । जिसकी बावत इन्तकाल व प्रबन्ध आदि करने

मे असमर्थ हूं क्योकि मैं/हम बाहर रहता हूं/रहते है । इसलिये इन्तकाल व प्रबन्ध करने मे असमर्थ है । इसलिये वह अपनी तरफ से लेख लिखा लेने वाले को अपना सामान्य अधिकारी (मुख्त्यार आम) नियुक्त करते है । उसको निम्नलिखित कार्यो को करने हेतू अधिकार प्रदान किए जाते है । वह उक्त लेख लिखा

देने की तरफ से कार्य अपनी उपस्थिति व अपने हस्ताक्षरों से सम्पादित कर सकेगा । लेख लिख देने वाले की सम्पत्ति पर जो भी हक, हिस्सा व अधिकार है, को लेख मे सम्पत्ति संबोधित किया जा रहा है ।

1. उक्त सम्पत्ति की देख रेख व व्यवस्था करना, उक्त पर आरोपित कर की अदायगी करना किसी प्रकार की आपत्ति होने पर उक्त का प्रतिनिधित्व व पैरवी करना ।

2. उक्त सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से को किराये पर या अन्य रूप से किसी को प्रदान करना,

कब्जा वापिस प्राप्त करना व इस सम्बन्ध मे समस्त कार्य सम्पादित करना ।

3. उक्त सम्पत्ति या उनके हिस्से को बिक्री करने- बन्धक रखे जाने, पटटा पर देने, तकसीम कराने, दान देने की कार्यवाही करना, प्रतिफल प्राप्त करना व रसीद प्रदान करना, आवश्यक दस्तावेज का निष्पादन करना व पंजीयन कार्यालय मे पंजीयन कराना, अधिपत्य प्रदान करना व राजस्व अभिलेखों मे दुरूस्ती के सम्बन्ध मे क्रेता को सहयोग प्रदान करना ।

4. उक्त सम्पति या उसके हिस्से को केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार, अधीनस्थ विभाग, अर्द्धशासकीय संस्था, निर्गमित निकाय या अन्य द्वारा अधिग्रहित किये जाने पर आवश्यक दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना , मुआवजा की राशि प्राप्त करना, मुआवजा निर्धारण पर आपत्ति होने की स्थिति मे उक्त के समुचित निर्धारण हेतू समस्त वैधानिक कार्यवाही व पैरवी करना ।

5. उक्त सम्पति से प्राप्त होने वाली धनराशि के सम्बन्ध मे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक मे खाता खोलना,

उक्त का संचालन करना व अपने हस्ताक्षर से चेक या आहरण पत्र द्धारा रकम आहरण करना ।

6. उक्त सम्पति के सम्बन्ध मे विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मे आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करना, भारत के समस्त न्यायालयों व कार्यालयों मे प्रतिनिधित्व व पैरवी करना, राजीनामा करना, प्रकरण वापिस प्राप्त करना व इस सम्बन्ध मे समस्त कार्य करना ।

7. उक्त सम्पति या उसके हिस्से पर नियमानुसार कार्यवाही का निर्माण कार्य कराना, बिजली, दूरभाष कनैक्शन प्राप्त करना, आवेदन पत्र प्रस्तुत करना, अनुबन्ध निष्पादित करना, सुरक्षा धन जमा करना, वापिसी योग्य धन वापिस प्राप्त करना व आवश्यक कार्य करना । किसी स्टाम्प की खरीद करना

तथा रिफन्ड कराना, चैक, ड्राफट, रिफन्ड वाउचर वगैरा प्राप्त करके उसका रूपया किसी बैंक या खजाना सरकार से हर प्रकार से प्राप्त करना तथा जो भी आवश्यक कार्यवाही करनी जरूरी हो सब अमल मे लाना।

8. उक्त सम्पति का विभाजन कराये जाने की स्थिति मे समस्त आवश्यक कार्यवाही करना।

9. उक्त सम्पति के सम्बन्ध मे शासकीय, गैर शासकीय विभाग या अन्य से पत्र व्यवहार करना, पत्रों को उत्तर देना । हमारे कागजात पर हर प्रकार से हस्ताक्षर करना तथा कार्यवाही हर प्रकार से करना ।

10. यह है कि अधिकारों मे से किसी एक अधिक या समस्त को प्रदान करते हुए किसी अन्य के पक्ष मे अधिकार पत्र प्रदान करना ।

11. यह है कि सरकार से एक्वायर शुदा भूमि की बावत मुआवजा की राशि प्राप्त करे । अपीलार्थ हर

प्रकार से हर न्यायालय वगैरा मे हर प्रकार से कार्यवाही करे और बढ़े हुए मुआवजा की राशि हर प्रकार से बजरिये चैंक, ड्राफट, रिफन्ड वाउचर वगैरा की मारफत हर प्रकार से प्राप्त करे । रसीदात हर प्रकार से देवें । लेख लिखने वाले के नाम पर कोई सम्पति भारत के किसी भी क्षेत्र मे खरीद करे या उसको हर प्रकार से रहन-बैय-हिब्बा व किसी भी तरीके से हस्तान्तरण करे और प्रतिफल किसी भी प्रकार से प्राप्त करके रसीद आदि हर प्रकार से देवें ।

यह है कि सामान्य अधिकार पत्र मे कोई अन्य अधिकार देने से रह गये हो तो वे अधिकार भी मेरे मुखत्यार आम उक्त को प्राप्त होगे । वे सब हमारे जैसे किये हुए होगे और मुझको/हम को हर प्रकार से स्वीकार होगे । मुखत्यार आम हम सब की तरफ से एक एक की तरफ जैसी भी स्थिति हो कार्यवाही कर सकता है ।

यह है कि मुखत्यार आम द्वारा किया गया उक्त कार्य लेख लिख देने वाले की तरफ से किया गया समझा जायेगा । जिस हेतू वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार व दायित्वाधीन रहेगा । अतः अपने स्वस्थचित मे

यह मुखत्यार नामा आम (सामान्य अधिकार पत्र) का लेख लिख दिया है जिस पर बिना किसी दबाव के स्वेच्छापूर्वक गवाहो के समक्ष दिनांक ----- को स्थान---- के अपने हस्ताक्षर कर दिये कि प्रमाण रहे ।

अनुसूचि

खेवट/खतौनी/खसरा न0 ----- तादादी--- कनाल---- मरला/विघा--- बिस्वा का--- कुल हिस्सा क्षेत्रफल --- कनाल---मरला/बिघा--- बिस्वा---- वर्ग गज---- वर्गमीटर स्थित गांव/शहर----- हदबस्त न0---- तहसील----जिला------ जमाबन्दी वर्ष -----

निष्पादन कर्ता

साक्षी (1)

साक्षी (2) जिसके हक मे निष्पादित किया